न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या–2, जिला, भीलवाडा

लिंक पीठासीन अधिकारीः पवन कुमार काला **(D.J. Cadre)**
आपराधिक विविध (जमानत) प्रकरण संख्या 765/2026

सांवरलाल पुत्र बलदेव उम्र 42 वर्ष निवासी कंवलियास जिला भीलवाड़ा (राज0)
–प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य –अप्रार्थी/अभियोगी

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
संबंध

(A) प्रकरण का विवरण	
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या एवं दिनांक	87/2026
पुलिस थाना	भीमगंज, जिला भीलवाडा
अपराध अंतर्गत धारा	303(2) Ipc
अधिकतम निर्धारित दंड	3 वर्ष व जुर्माना

(B) अभिरक्षा एवं प्रक्रिया संबंधी अनुपालन	
गिरफ्तारी की तिथि	09.04.2026
अब तक व्यतीत कुल अभिरक्षा अवधि	71 दिवस

(C) विचारण की स्थिति	
कार्यवाही की वर्तमान अवस्था(अनुसंधान/चालान प्रस्तुत/संज्ञान/आरोप निर्धारण/विचारण)	आरोप सुनाया जा चुका है।
चालान में उल्लेखित कुल अभियोजन साक्षियों की संख्या	09
अब तक परीक्षित अभियोजन साक्षियों की संख्या	निल

(D) आपराधिक पूर्ववृत्त	
1– प्राथमिकी संख्या एवं पुलिस थाना	97/20 रायला
धाराएं	379 Ipc
स्थिति (विचाराधीन/दोषमुक्त/दोषसिद्ध)	––
2– प्राथमिकी संख्या एवं पुलिस थाना	948/19 शिप्रापथ,जिला जयपुर
धाराएं	379 भा0द0सं0
स्थिति (विचाराधीन/दोषमुक्त/दोषसिद्ध)	————
3– प्राथमिकी संख्या एवं पुलिस थाना	292/20 प्रतापनगर,भीलवाड़ा
धाराएं	379 भा0द0सं0
स्थिति (विचाराधीन/दोषमुक्त/दोषसिद्ध)	———
4– प्राथमिकी संख्या एवं पुलिस थाना	32/18 विजयनगर,अजमेर
धाराएं	4/25 आर्म्स एक्ट
स्थिति (विचाराधीन/दोषमुक्त/दोषसिद्ध)	—————
5– प्राथमिकी संख्या एवं पुलिस थाना	225/20 गुलाबपुरा, भीलवाड़ा
धाराएं	379 भा0द0सं0
स्थिति (विचाराधीन/दोषमुक्त/दोषसिद्ध)	—————

(E) पूर्व जमानत आवेदन	
न्यायालय	अपर सेशन न्यायाधीश सं0–2,भीलवाड़ा
प्रकरण संख्या	604/2026
परिणाम	अस्वीकार (दिनांक 12.05.2026)

(F) दण्डात्मक/बलपूर्वक कार्यवाही	
क्या कोइ गैर/जमानती वारंट जारी किया गया है ?	NIL
क्या अभियुक्त को उदघोषित अपराधी घोषित किया गया है ?	NIL

उपस्थितः-

1. श्रीमती स्वीटी लालवानी, विद्वान अधिवक्ता (असिसटेंट डिफेंस काउंसिल) प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. श्री अनुराग आचार्य, विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

आदेश

दिनांक 19.06.2026

01— प्रार्थी—अभियुक्त सांवरलाल पुत्र बलदेव की ओर से यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जरिये अधिवक्ता श्रीमती स्वीटी लालवानी श्रीमान सेशन न्यायाधीश महोदय,भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया गया नकल लोक अभियोजक को दिलाई गई। तत्पश्चात यह जमानत आवेदन पत्र सुनवाई हेतु अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने से जमानत आवेदन पत्र सुनवाई हेतु मेरे समक्ष पेश हुआ। विचारण न्यायालय की पत्रावली प्राप्त हुई।

तथ्यात्मक स्थिति

02— संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस पकार है कि परिवादी बबलु प्रजापति द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना भीमंगज जिला भीलवाड़ा के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि दिनांक 05.04.2026 को वह अपने सेठ विशेष जी नुवाल की मोटरसाईकिल एचएफ डिलक्स नं0—आरजे—06—एचएस—1333 को लेकर अपने घर तिलक नगर सेक्टर 10 गया था। करीब 8.00 बजे उसने घर के बाहर खड़ी की थी जो उसने करीब 10.30 पीएम पर देखी तो गाड़ी नहीं मिली जिसकी उसने आसपास तलाश की तो कोई पता नहीं चला कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी मोटरसाईकिल चुरा के ले गया जिसके चेचिस नं0—07199 व इंजिन नं0—07291 ब्लेक ब्लू पटी कलर की पट्टी लगी हुई है तलाश कराई जावे....इत्यादि।

03— उक्त रिपोर्ट के आधार पर थानाधिकारी पुलिस थाना भीमगंज द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0—87/2026 अंतर्गत धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज

कर अनुसंधान किया। अनुसंधान के दौरान उक्त मोटर साईकिल को प्रार्थी–अभियुक्त के कब्जे से जप्त किया गया। संपूर्ण अनुसंधान से प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 303 (2) भारतीय न्याय संहिता का अपराध प्रमाणित मानकर दिनांक 06.05.2026 को विद्वान विचारण न्यायाय अति0 न्यायिक मजिस्ट्रेट सं0–एक, भीलवाड़ा के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त अपराध का आरोप दिनांक 13.06.2026 को सुनाया जा चुका है। प्रार्थी–अभियुक्त गिरफ्तारी की दिनांक 09.04.2026 से निरंतर पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। आरोप सुनाये जाने के पश्चात प्रार्थी–अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विद्वान अति0 न्यायिक मजिस्ट्रेट सं0–एक,भीलवाड़ा के द्वारा अस्वीकार किया जा चुका है।

बहस

04– बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई। विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

05– बहस के दौरान प्रार्थी–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तक है कि प्रार्थी–अभियुक्त को आरोप सुनाया जा चुका है एवं विचारण में समय लगने की संभावना है एवं प्रार्थी–अभियुक्त गिरफ्तारी की दिनांक से निरंतर अभिरक्षा में है। उसे दो माह से अधिक का समय हो चुका है वह विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित होता रहेगा, साक्षियों को भी डरायेगा–धमकाएगा नहीं। अंत में प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

06– इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। आरोप सुनाये जाने से अन्यथा किसी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है इसलिये जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाया जावे।

विनिश्चय

07– बहस के तर्कों पर गौर किया। विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी–अभियुक्त को परिवादी की मोटरसाईकिल चुराये जाने के संबंध में अपराध धारा 303 (2) भारतीय न्याय संहिता का आरोप सुनाया जा चुका है। प्रार्थी–अभियुक्त का इस भांति के अपराधों का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है फिर भी प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 09.04.2026 से निरंतर अभिरक्षा में है तथा न्यायालय द्वारा पूर्व जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने के पश्चात आरोप सुनाया

जा चुका है। विचारण में समय लगने की संभावना है तथा प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए गुणावगुण पर किसी प्रकार का अभिमत व्यक्त किए बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित समझता हूं।

निष्कर्षः.

08– फलस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्त सांवरलाल पुत्र बलदेव उम्र 42 वर्ष निवासी कंवलियास जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा विचारण न्यायालय की संतुष्टि अनुसार स्वयं का पचास हजार रूपये का बंध पत्र तथा पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां पुनः इस भांति का अपराध नहीं करने की शर्त के अध्ययधीन प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तो इस प्रकरण में प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया जावे। आदेश की प्रति जरिये ई–मेल अधीक्षक,जिला कारागृह,भीलवाड़ा तथा विचारण न्यायालय अति0 न्यायिक मजिस्ट्रेट सं0–एक,भीलवाड़ा को जरिये ई–मेल प्रेषित की जावे।

09– इस आदेश की पालना में प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जमानत मुचलके प्रस्तुत करने के पश्चात यदि प्रार्थी–अभियुक्त विचारण के दौरान युक्तियुक्त कारण के बिना विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 269 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज करवाया जावे।

(पवन कुमार काला)
अपर सेशन न्यायाधीश
संख्या–02 जिला भीलवाडा

10– आदेश आज दिनांक 19.06.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया व हस्ताक्षरित किया गया।

(पवन कुमार काला)
अपर सेशन न्यायाधीश
संख्या–02 जिला भीलवाडा